राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : Lib/xxiv/i(b)/2017-18/ 1 Dated 22/03/2018

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पुस्तकालय के उपयोगार्थ किताबों (Book & Gazettes) की द्वि–वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर बाइडिंग का कार्य करवाने हेतु दरों के सम्बन्ध में मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र दिनांक 27.03.2018 से दिनांक 05.04.2018 तक कार्य दिवस में मुख्य रोकड़पाल (Cashier), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है। निविदाएँ दिनांक 05.04.2018 को साँय 5 बजे तक बेची जाकर दिनांक 06.04.2018 को दोपहर 12 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाएँ दिनांक 06.04.2018 को 3.00 PM बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,

21.3.2018

रजिस्ट्रार (प्रशासन),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: जिल्दसाजी के कार्य हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

A. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोनः .2541338, 2545516 फैक्स: 0291-2546974, ईमेल – hc-rj@nic.in
2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने साथ राजस्थान सरकार एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट http://hcraj.nic.in/tender.aspx एवं http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर प्रकाशित की जायेगी।
3. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली–भाँति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथी से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि, यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा मे उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।
5. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार–विमर्श नही किया जायेगा।
6. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नही की जायेगी।

B. पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

1. **निविदा मूल्य :** निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित निविदा मूल्य आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसे बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 27.03.2018 से दिनांक 05.04.2018 को 5.00 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 06.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 06.04.2018 को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। दिनांक 06.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे के बाद प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. बयाना राशि ठेकेदारों/निविदादाताओं को बयाना राशि (Earnest Money), जिसका विवरण राशि संबंधित अध्याय में दिया गया है, के अनुसार आवश्यक रूप से निविदा जमा करवाने के समय जमा करवानी है। बयाना राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जायेगी।

C. बाईण्डिग कार्य के सम्बन्ध में विशेष विवरण

1. पुस्तकों, रिपोर्ट्स, राजपत्र एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अर्द्धचर्म जिल्दसाजी/अर्द्धचर्म काली जिल्दसाजी/रेगजीन जिल्द जिसके कोने चमड़े के जीन से बनाये जायेगें।
2. चमड़ा जो प्रयुक्त हो, भेड़ या बकरे का चमड़ा, जो पूर्णतया शोषित हो काम में लिया जावे अथवा उच्च कोटि का रेगजीन प्रयुक्त हो।
3. पुलक (दस्तरी) पुस्तक के आकार अनुरूप वजन की दस्तरी या फलन्ट को प्रयोग किया जावें।
4. सिलाई केवल जुज अथवा लपेट में होनी चाहिए।
5. पुस्तक बन्धन में मलमल अथवा अन्य उच्च श्रेणी का वस्त्र प्रयोग में लाना होगा।
6. पुस्तकों के पृष्ठ भाग (पुश्त) पर उच्च श्रेणी का मुल्लभ गत्ता गिल्ट लेबल चिमकाया जाना चाहिए और काली या रेगजीन जिन्दसाजी की अवस्था में सुनहरें अक्षर पुस्तकों के पृष्ठ भाग पर अंकित किये जाने चाहिए।
7. पुस्तकों की फलक पर उच्च श्रेणी का काला वस्त्र ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. सिलाई के पश्चात पुस्तक को अच्छी तरह से पीटकर गोलाई निकाली जानी चाहिए।
9. राजपत्रों के बंधन में कागज का कतरन उपयोग में लानी होगी, जिससे कि पृष्ठ भाग (पश्च) संतुलित व ठीक आकार में रहें।
10. प्रति सप्ताह 50 (पचास) पुस्तकें जिल्द करके देनी होगी।
11. पुस्तकों के सफाई लाने बाबत् कटिगं किये जाने पर अक्षर न कटने पाये इसका विशेष ध्यान देना होगा, यदि अक्षर कट जाते है तो नई पुस्तक उपलब्ध करवानी होगी।
12. कार्यालय के भवन का स्थान बदलने की स्थिति में फर्म स्वीकृत दरो व शर्तो पर कार्य करने के लिए बाध्य रहेगी।

13. कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित जिन्दसाजी के कार्य की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है, जिसको पूर्ण करने के लिए फर्म बाध्य होगी।
14. यदि किसी समय जिन्दसाजी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो अनुबंधकर्त्ता को उन पुस्तकों को बदलना होगा अथवा मूल्य देना होगा। ऐसा न करने पर पुस्तक का मूल्य धरोहर राशि से काट लिया जायेगा अथवा अन्य किसी ऐसे उपाय द्वारा जो उचित हो वसूल कर लिया जायेगा।

नोट :– निविदा के तहत वांछित सामग्री उपयुक्त विवरणानुसार नही होने पर उस निविदा पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म की ही होगी।

D. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि '*रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर* के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार 5 प्रतिशत राशि नकद/ बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति के रूप *रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर* में जमा करानी होगी, जिसकों पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
3. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
4. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार ब्याज इत्यादि देय नही होगा।

E. प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfieture of Security Deposit) :–

1. निम्नलिखित मामलों में में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगाः–
   (a) जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,
   (b) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,
   (c) जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा,
   (d) बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
   (e) प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदायः– अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा।

F. अपात्रता

1. निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :
   (a) निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।
   (b) बिना निविदा मूल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएं।
   (c) अपूर्ण निविदायें
   (d) भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
   (e) विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी प्रदान करना।
   (f) एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
   (g) अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
   (h) तकनीकी अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।
   (i) निविदादाताओ अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
   (j) अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।